रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक संवत्) [संख्या 25

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	475–518	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	699–712	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	571–580	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[मानवाधिकार]

अनुभाग-2

अधिसूचना

04 जून, 2021 ई0

सं0 110/छः-मा0-2-2021-3(391)/2002—मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित 2006 एवं 2019) की धारा 22 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), श्री बाल कृष्ण नारायण, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक के लिये, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-3

प्रोन्नति

24 मई, 2021 ई0

सं0 379/11-3-2021-55/07—राज्यकर विभाग के निम्नलिखित अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्यकर को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्यकर के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 में उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के सापेक्ष प्रोन्नति प्रदान करते हुये जनपद गोरखपुर में तैनात किये जाने की राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम	चयन वर्ष
1	2	3	4
1	74	श्री देवेन्द्र कुमार	2020-21

2—उक्त अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
सर्वज्ञ राम मिश्र,
विशेष सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-10

पदोन्नति

25 मई, 2021 ई0

सं0 23/2021/763/सत्ताइस-10-21-100(11)/20—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2020-21 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री गिरीश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) की दिनांक 30 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 01 मई, 2021 को प्राप्त वास्तविक रिक्ति के सापेक्ष श्री जावेद वसीम, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) (ज्येष्ठता क्रमांक-721) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 8,700 नया वेतनमान रु0 1,23,100-214100 पे मैट्रिक लेवल-13)पर नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री जावेद वसीम की पदस्थापना के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

आबकारी विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

28 मई, 2021 ई0

सं0 973/ई-1/तेरह-2021-499(6)/2012—श्री सभाजीत, प्राविधिक अधिकारी, कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, रु0 67,700-2,08,700) के पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्री सभाजीत को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में रिक्त वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
संजय आर0 भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

नियोजन विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति/नियुक्ति

28 मई, 2021 ई0

सं0 295/35-1-2021-4/3(4)/95टी0सी0—तात्कालिक प्रभाव से राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत पदोन्नति कोटे के शोध अधिकारी (अभियंत्रण) के पद पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु किये गये चयन तथा "मा0 आयोग" की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शोध सहायक (अभियंत्रण) को शोध अधिकारी (अभियंत्रण) के पद पर पे बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, लेवल-10 मे ंप्रोन्नत कर नियमित रूप से एतद्द्वारा नियुक्त करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है—

1—श्री अभिषेक त्रिपाठी।

2—श्री अनुराग वर्मा।

3—श्री दीपक कुमार।

सं0 306/35-1-2021-2/1(30)/2014—तात्कालिक प्रभाव से राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत पदोन्नति कोटे के शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु किये गये चयन तथा "मा0 आयोग" की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अपर सांख्यिकीय अधिकारी को शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर पे बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, लेवल-10 मे ंप्रोन्नत कर नियमित रूप से एतद्द्वारा नियुक्त करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है—

1—श्रीमती रेनू सिंह।

2—श्री सुदेश कुमार।

3—श्री राम निवास यादव।

4—श्री दिनेश कुमार पन्त।

5—श्री राम विलास।

आज्ञा से,
आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

11 मई, 2021 ई0

सं0 1748 (18)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-18 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-65/52520148625) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मोहम्मद आजम पुत्र श्री नाजिमुज्जमा, निवासी ग्राम व पोस्ट-संग्रामपुर, तहसील-बिसौली, जिला बदायूं, उ0प्र0-343632 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, दौली रघुवर दयाल, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि

के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (19)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-19 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-156/52550220388) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री तसफिया हकीम अन्सारी पुत्री श्री अब्दुल हकीम अंसारी, निवासी-3/142, पूरा मियां जी, मऊआइमा, प्रयागराज-212507 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, बहलोलपुर, प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (20)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-20 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-166/52550187199) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री जाहिद कमाल पुत्र श्री एजाज अहमद, निवासी म0नं0-129/1, धोबिया इमली रोड, कासिम पुरा, जिला-मऊ, उ0प्र0-275101 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, कासिमाबाद, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (21)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-21 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-147/52550217816) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री शायका अंसारी पुत्री श्री अनवर हुसैन, निवासी-582, शेखुपुरा कालोनी, पोस्ट आफिस-विकास नगर, लखनऊ, उ0प्र0-226022 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, बाबूपुर, सीतापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (22)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-22 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-127/52520180445) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री रिजवान मंसूर खान पुत्र श्री मंसूर अहमद खान, निवासी म0नं0-4/572, नियर गुलजार स्ट्रीट, जमालपुर, अलीगढ़-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, किरा, रामपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रामपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (24)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-24 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-13/52520147194) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती अनम पत्नी श्री फारूख अनवर खान, निवासी–520, इकरा रोड, अलीगढ़, मोडर्न स्कूल के पीछे, धौरा माफी, अलीगढ़, उ0प्र0-202002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम

कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, शेखापुर, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (26)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15,

दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-26 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-79/52520050807) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 अकरम लईक पुत्र स्व0 लड्डन हुसैन, निवासी म0नं0-166, ग्राम-कमालपुर फतेहाबाद, पोस्ट-कुन्दरकी, जिला-मुरादाबाद, उ0प्र0-202413 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, निदड्डू, बिजनौर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बिजनौर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (27)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-27 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-120/52520160469) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री रफीउल्लाह पुत्र श्री सिबगतुल्लाह, निवासी ग्राम-बनकटवा पिपरा ग्राण्ट, सराय खास, जिला-बलरामपुर, उ0प्र0-271306 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, सिद्धौर, बाराबंकी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बाराबंकी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (28)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-28 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-38/52550160332) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री हुमैरा बानो, पुत्री स्व0 मोहम्मद अहमद, निवासी-परवीन गर्ल्स स्कूल मुस्लिम बाग गांव-रूपईडीहा, थाना-रूपईडीहा, तहसील-नानपारा, जिला बहराइच-271881 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, नगर गोण्डा, गोण्डा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोण्डा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी।

यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (29)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-29 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-125/52520067977) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री रिफाकत पुत्र स्व0 रियासत अली, निवासी म0नं0-33, खेड़ा गेट, पुराकाजी, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251327 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, चिलकाना, सहारनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (30)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-30 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-149/52550202425) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री शीरीं फातिमा पुत्री श्री अब्दुल रक्यूब, निवासी म0नं0-33/1, मो0-काजीपुरा, जलालपुर, जिला-अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, सादुल्ला नगर, बलरामपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलरामपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (31)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-31 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-155/52550260535) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री तरन्नुम खानम पुत्री श्री जावेद कमर, निवासी म0नं0-10, अमीर निशा कोठी, अमीर निशा, सिविल लाइन, अलीगढ़-202002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, चकरपुर लमकन, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीययूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (32)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-32 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-34/52550109951) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री हैदर अली कुरैशी पुत्र श्री अशरफ अली कुरैशी, निवासी म0नं0-202ए/165, गली-04, जवाहर नगर, हाथी पार्क के सामने लखनऊ-226018 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से

राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मदनपुर, देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (33)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर,

2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-33 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-30/52550148507) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री फिरदौस अनीस, पुत्री श्री अनीस अहमद, निवासी-92, जहांगीराबाद कालोनी, दक्षिणटोला, मऊ, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मेण्डारा, प्रयागराज में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (34)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-34 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-25/52520083762) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री एहसान रऊफ, पुत्र श्री एस0एम0 हस्सान, निवासी-476/सी, मदेहगंज पुलिस चौकी के पीछे, सीता रोड, लखनऊ-226020 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, अशरफपुर, सीतापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (35)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-35 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-19/52520108104) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अजीजुर्रहमान, पुत्र स्व0 अबरार अहमद, निवासी-म0नं0-637, नगला पटवारी मलैण्ड आजाद नगर, गली नं0-2, जिला अलीगढ़-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, किला बाजार, रायबरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त

अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (36)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-36 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-40/52520002679) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री इजहार अहमद पुत्र श्री बदीउज्जमा, निवासी-ग्राम-लधुवाई, पो0-मर्यादपुर, जिला-मऊ को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मलैय्या, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (37)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-37 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-05/52520007328) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अब्दुल कुद्दूस, पुत्र श्री अलीमुल कदर, निवासी-म0नं0-4/1397, अलीम मंजिल, सर सैय्यद नगर, निकट जामिया उर्दू, जिला-अलीगढ़, उ0प्र0-202002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, टांडा बंशीधर, रामपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रामपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (38)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-38 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-39/52520144619) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री हुमायु खान पुत्र श्री अरशद अली, निवासी-म0नं0 895, ग्राम व पोस्ट-गढ़ी अब्दुल्ला खॉ, जनपद-शामली, उ0प्र0-247778 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, अम्बेहटापीर, सहारनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (39)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-39 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-37/52520227986) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री हुमा अख्तर पुत्री श्री अखतरूद्दीन, निवासी-सबराहिद शाहगंज, जौनपुर-223101 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के

अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, किछौंछा, अम्बेडकर नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अम्बेडकर नगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (40)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/

एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-40 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-14/52550191998) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अशफाक अहमद पुत्र श्री मोहम्मद हसन, निवासी-ग्राम-रामगढ़, पोस्ट-अमरोहा, जिला-बस्ती-272127 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, भदरसा, अयोध्या में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अयोध्या के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (41)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-41 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-128/52550260854) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रिजवाना खातून, पुत्री श्री फहीम अहमद, निवासी-म0नं0-215, वार्ड नं0-08, टाउन एरिया, मसवासी, तहसील-स्वार, जिला-रामपुर, उ0प्र0-244924 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, सैंथल, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (42)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-42 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-160/52520167657) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री उऊज बी, पुत्री श्री मुहम्मद मियॉ, निवासी-ग्राम-अमनपुर, थाना-सहसवान, तहसील-सहसवान, जिला बदायूं-243638 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, कांठ, शाहजहांपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (43)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-43 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-81/52520027313) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 असलम, पुत्र श्री असगर अली, निवासी-सी-782, जी0टी0बी0 नगर, करैली, प्रयागराज, उ0प्र0-211016 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मिलक मुकीमपुर, बिजनौर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बिजनौर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (44)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-44 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-86/52520012746) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 खालिद, पुत्र श्री निजामुद्दीन, निवासी-ग्राम-दीनानगर, पोस्ट-गुलरिहा, जिला-बलरामपुर, उ0प्र0-271205 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, नानपारा, बहराइच में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बहराइच के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (45)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-45 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-83/52550218462) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 अजीम अशरफ पुत्र श्री हिलाल अहमद, निवासी-म0नं0-1186, ग्राम व पो0-हंसवर, जिला-अम्बेडकरनगर-224143 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, कोयलसा, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (46)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-46 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-29/52520053469) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री फारूख अनवर खान, पुत्र श्री अनवर खान, निवासी-म0नं0-11, रहीम पैलेस कालोनी, मालियों की पुलिया, बरेली-243005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, रसिया खानपुर, पीलीभीत में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (47)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-47 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-101/52550048872) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 जाकिर सिद्दीकी पुत्र श्री मो0 सादिक, निवासी-ग्राम-कनौजा खुर्द, पोस्ट-फूलपुर, प्रयागराज-212404 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, (15 शैय्या) नवाबागंज, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (48)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-48 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-42/52520217493) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री इरम बुशरा पुत्री श्री खुर्शीद हसन, निवासी-म0नं0-276, मो0 ग्राम व पो0-गुरेर, थाना मैनाठेर, तहसील-बिलारी, जिला-मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली,

1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, गोरारी, जौनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगी। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देती हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (50)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/

एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-50 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-22/52550027824) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री दानिश अख्तर पुत्र श्री मोहम्मद अली, निवासी-मोहल्ला-वार्ड 19, जफरपुरा, तहसील-मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर-233227 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, डुमरी, बलिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (51)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-51 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-98/52550157125) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 तसनीफ पुत्र श्री मो0 यासीन, निवासी-80-सी, वार्ड नं0-18, नवाबागंज, बरेली-262406 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, शाहाबाद, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (52)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-52 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-70/52520058313) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मोहम्मद संजर किदवाई, पुत्र श्री हस्सान मसूद किदवाई, निवासी-कजियाना, मोहल्ला भुलेन्डी बछरावॉ, रायबरेली-229301 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मुहिउद्दीनपुर, उन्नाव में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (53)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-53 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-129/52520091804) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री सबा फातिमा पुत्री श्री वसी अहमद, निवासी-प्लाट नं0-113/116, गोल्डेन सिटी, किशोरगंज, कैम्पवेल रोड, लखनऊ-226003 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, तालगांव, सीतापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (54)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-54 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-64/525501144662) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद जहूर, निवासी गली नं0-4, चॉद मस्जिद, शहंशाह बाद, लाइन पार नाला रोड, जमालपुर, अलीगढ़-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, पिपरगांव, फर्रूखाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रूखाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (56)/96-आयुष-1-2021-203/2020—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-56 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-66/52550022281) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मोहम्मद इरफान अन्सारी पुत्र श्री मोहम्मद फुरकान अन्सारी, निवासी-ग्राम-नवॉ गॉव, पो0—नरियॉव, आलापुर, जिला-अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224147 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, छीहीं आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 1748 (57)/96-आयुष-1-2021-203/2020–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 57 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 190/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या 197/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 23 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या 207/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, एवं पत्र संख्या 219/02/डीआर/एस-11/2014-15, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन क्रमांक-57 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-97/52520032573) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मो0 तारिक पुत्र श्री मो0 आरिफ, निवासी-सिटी कलेक्शन शाह काम्प्लेक्स, तकिया, जिला-आजमगढ़-276001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, कासिमपुर, मऊ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जायेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
सुखलाल भारती,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–12 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञा

05 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 2546/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम गौहारी, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित खाता संख्या 517 के गाटा संख्या 195, रकबा 0.761 हे0 में 0.250 हे0 मालियत रु0 3,43,750.00 (तीन लाख तैंतालीस हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा	महोबा	गौहारी	195	हेक्टेयर 0.761 में से 0.250	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 2547/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) तथा राजस्व अनुभाग-1, के शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, महोबा की आख्या दिनांक 01 अप्रैल, 2021 व रघुवंश शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रेक्टर, कबरई पेयजल योजना, महोबा की आख्या दिनांक 03 अप्रैल, 2021 के क्रम में श्रेणी-5 के तहत उपलब्ध बंजर भूमि के ओ0 एच0 टी0 के लिये उपयुक्त न होने, इस हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न होने एवं लोगों को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त खलिहान के खाते की सुरक्षित भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य पाये जाने एवं संस्तुति के क्रम में, मैं सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम मकरबई (ग्राम पंचायत मकरबई) तहसील व जनपद महोबा स्थित भूमि राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने के कारण लोक उपयोगिता के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के सी0आर0डब्लू0/ओ0एच0टी0 की स्थापना हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं :

अनुसूची

मौजा ग्राम-मकरबई, परगना व तहसील-महोबा, जनपद महोबा—

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के OHT/CWR की स्थापना हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम सभा के खाते की अन्य भूमि जिससे सुरक्षित खाते की भूमि की प्रतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्ता. वित रकवा	अवशेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6-4 जो अन्य कारणों से आ-कृषिक हो	खलि-हान	1072	345	1.647	0.079	1.568	5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बंजर	1054	534	0.275	0.079	0.196

सं0 2548/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) तथा राजस्व अनुभाग-1, के शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, महोबा की आख्या दिनांक 01 अप्रैल, 2021 व रघुवंश शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रेक्टर, कबरई पेयजल योजना, महोबा की आख्या दिनांक 03 अप्रैल, 2021 के क्रम में श्रेणी-5 के तहत उपलब्ध बंजर भूमि के ओ0 एच0 टी0 के लिये उपयुक्त न होने, इस हेतु अन्य भूमि उपलब्ध न होने एवं लोगों को पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त खलिहान के खाते की सुरक्षित भूमि का श्रेणी परिवर्तन अपरिहार्य पाये जाने एवं संस्तुति के क्रम में, मैं सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बरी (ग्राम पंचायत बरी) तहसील व जनपद महोबा स्थित भूमि राज्य सरकार के सेवारत विभाग होने के कारण लोक उपयोगिता के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं

स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के सी0आर0डब्लू0/ओ0एच0टी0 की स्थापना हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं :

अनुसूची

मौजा ग्राम-बरी, परगना व तहसील-महोबा, जनपद महोबा–

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के OHT/CWR की स्थापना हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि का विवरण								ग्राम सभा के खाते की अन्य भूमि जिससे सुरक्षित खाते की भूमि की प्रतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	अवशेष रकवा	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्ता. वित रकवा	अवशेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6-4 जो अन्य कारणों से आ-कृषिक हो	खलि-हान	312	330	0.425	0.250	0.175	5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बंजर	301	42	1.939	0.250	1.698

17 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 2662/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2021-22–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थिति ग्राम मकरबई, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित खाता संख्या 1054 के गाटा संख्या 346, रकवा 0.081 हे0 व 0.345 मि0 रकवा 0.079 हे0 कुल दो किता 0.160 हे0 मालियत रु0 1,76,960.00 (एक लाख छिहत्तर हजार नौ सौ साठ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	मकरबई	346	0.081	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					345-मि0	0.079		
					योग .	0.160		

सं0 2663/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2021-22—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बरी, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खाते में अंकित खाता संख्या 301 के गाटा संख्या 330, रकवा 0.425 हे0 में से 0.250 हे0 मालियत रु0 1,66,250.00 (एक लाख छियासठ हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	बरी	330	0.425 में से 0.250	श्रेणी 5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					योग . .	0.250		

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी,
महोबा।

बॉदा के जिलाधिकारी की आज्ञा

22 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 391(5)/12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, लखनऊ दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बॉदा, अनुसूची के स्तम्भ 7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब

तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बॉदा	बॉदा	मटौंध ग्रामीण	मटौंध ग्रामीण	5-1 नवीन परती खाता संख्या 3220	1199-ख	0.0690	थाना मटौंध को बैरिक/हॉस्टल निर्माण हेतु।

आनन्द कुमार सिंह,
जिलाधिकारी,
बॉदा।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञा

10 मई, 2021 ई0

सं0 143(iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी) -1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम उखलाना में पुलिस चौकी साधू आश्रम, थाना हरदुआगंज के निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	कोल	मोरथल	उखलाना	1539-मि0	0.040	6-4 ऊसर	पुलिस चौकी साधू आश्रम थाना हरदुआगंज के निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 144(iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी) -1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के ग्राम अमरपुर दहाना एवं श्यामगढ़ी में नवीन थाना गोरई के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	इगलास	गोरई	अमरपुर दहाना	126	0.161	5-1 नवीन परती	थाना गोरई के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।
2	अलीगढ़	इगलास	गोरई	श्यामगढ़ी	973	0.080	5-3 बंजर	

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञा

20 मई, 2021 ई0

सं0 6500/सात-भू0सु0-2021–शासनादेश संख्या 68/3-2(6)-79-रा-1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 एवं अद्यतन शासनादेश संख्या 744/एक-1-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 745/एक-1-2016(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	प्लाट संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	9
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	गजोखर	469-क मि0 श्रेणी 5-1 नई परती	हेक्टेयर 25 × 105 वर्गमीटर अर्थात् 2625 वर्गमीटर	220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र गजोखर, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु।

उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत उक्त गांव सभा की भूमि को 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के विस्तारीकरण हेतु उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, विद्युत विभाग को 01 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य तथा मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराये पर 30 वर्ष के लिये पुनर्ग्रहण के माध्यम से पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कौशल राज शर्मा,
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

कानपुर देहात के जिलाधिकारी की आज्ञा

22 मई, 2021 ई0

सं0 2265/डी0एल0आर0सी0-का0दे0-पुनर्ग्रहण/2021—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 व शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों व शासकीय अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, मैं, जितेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, कानपुर देहात निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	कानपुर देहात	मैथा	मैथा	काशीपुर	1233-ख	0.0410	श्रेणी 6-4 ऊसर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय काशीपुर के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा, शिक्षा एवं आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन)।

सं0 2266/डी0एल0आर0सी0-का0दे0-पुनर्ग्रहण/2021—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 व शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों व शासकीय अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये, मैं, जितेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, कानपुर देहात निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	कानपुर देहात	रसूलाबाद	रसूलाबाद	अजनपुर इन्दौती	322	0.154	श्रेणी 5-3-ड़ बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अजनपुर इन्दौती के भवन निर्माण हेतु (चिकित्सा, शिक्षा एवं आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन)।

जितेन्द्र प्रताप सिंह,
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञा

25 मई, 2021 ई0

सं0 1968 / आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0-(2021-2022)–शासनादेश संख्या 258 / रा0-1 / 16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेशानुसार के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण / प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	लहर धवा	460-मि0	0.180	5-3-ड़ बंजर	तहसील मड़ावरा में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु।

अन्नावि दिनेश कुमार,
जिलाधिकारी,
ललितपुर।

गाजियाबाद के जिलाधिकारी की आज्ञा

29 मई, 2021 ई0

सं0 1020/सात-डी0एल0आर0सी0-कले0-गा0बाद-2021—शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)-2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अजय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी, गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा संख्या व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण प्रयोजन, जिसके लिए भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा रहा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	डूण्डाहेडा	781-मि0	हेक्टेयर 0.8000	श्रेणी 5-3-ड़ बंजर	जनपद गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में 50 शैयायुक्त मैटरनिटी विंग/संयुक्त चिकित्सालय भवन की स्थापना हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पक्ष में।

अजय शंकर पाण्डेय,
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञा

03 जून, 2021 ई0

सं0 205(iv)/डी0एल0आर0सी0—उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के थाना गोधा के अन्तर्गत ग्राम छलेसर में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	मोरथल	छलेसर	263	हेक्टेयर 0.0304	5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर	थाना गोधा के अन्तर्गत ग्राम छलेसर में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 206(iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी) -1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के थाना गोधा के अन्तर्गत ग्राम सिकरना में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने हेतु गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	मोरथल	सिकरना	543-मि0	हेक्टेयर 0.040	5-1 कृषि योग्य भूमि, नई परती (परती जदीद)	थाना गोधा के अन्तर्गत ग्राम सिकरना में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

कार्यालय, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज

08 जून, 2021 ई0

सं0 164-ख (निदे0)/21–श्री संजय शुक्ला पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला, वित्त एवं लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ जिनकी जन्म तिथि 05 जुलाई, 1961 है, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शासकीय सेवा से दिनांक 31 जुलाई, 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। अतएव, श्री संजय शुक्ला को एतद्द्वारा निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 31 जुलाई, 2021 के अपरान्ह में अपने पद का प्रभार छोड़कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायें।

18 जून, 2021 ई0

सं0 175-ख (निदे0)/21–मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 विभाग के अधिकारी जो अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त उसी माह के अन्तिम दिनांक (कालम नं0-7 में अंकित है) के अपरान्ह से वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2, से 4 के मूलनियम 56(क) के अन्तर्गत यदि वे उसके पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं कर दिये जाते हैं तो सेवानिवृत्त हो जायेंगे–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	पदनाम	वेतनमान	सेवानिवृत्त दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री बाँके लाल	स्व0 मुंशीलाल	31-12-1962	संयुक्त निदेशक	78,800-2,09,200 मैट्रिक्स लेवल-12	31-12-2022

डा0 अनिल कुमार,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, प्रयागराज।

कार्यालय, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश

31 मई, 2021 ई0

सं0 2760/लो0आ0-2021-26-17/2017टी0सी0—एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा श्री गौतम वर्मा, अपर निजी सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, सर्तकता अनुभाग-4 के आदेश संख्या 1923/39-4-2020-15(41)/2015, दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 द्वारा नवसृजित निजी सचिव, के पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में प्रोन्नत किया गया है।

अनिल कुमार सिंह,
सचिव।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

11 जून, 2021 ई0

सं0 352/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/गोण्डा/बलरामपुर/2020-21—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत इटवा रजवाहा निर्माण हेतु जनपद-बलरामपुर, तहसील-उतरौला, परगना-सादुल्लाह नगर, ग्राम-अधीनपुर में कुल 0.345 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—सरयू नहर परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-1201/16/96-आई0ए0-1, दिनांक 19 जनू, 2000 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्रस्तुत किया गया है तथा धारा-6(2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है।

3—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

4—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित भूमि का सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
बलरामपुर	उतरौला	सादुल्लाह नगर	अधीनपुर	49-मि0	0.045
				61-मि0	0.178
				62-मि0	0.122
				योग. .	**0.345 हे0**

5—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं।

6—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यतिक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

NOTIFICATION

June 11, 2021

No. 352/VIII-S.L.A.O./Notification/Gonda/Balarampur/2020-21–Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilition and Rehabilitation Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), hereinafter referred to as the said Act, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate) is satisfied that a total of 0.345 hactare of land is required for the construction of ITVA RAJWAHA under the National Project of Saryu Nahar Pariyojna in the Village-ADHINPUR, Pargana-SADULLAH NAGAR, Tehsil- UTRAULA, District-BALARAMPUR for public purpose under the said project namely Saryu Canal Project.

2. Letter no. 1-12011/16/96-IA-1, dated 19 June, 2000 has been provided by the Ministry of the Environmental & Forests Government of the regarding environmental clearance of Saryu Canal Project in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6 of the said Act.

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be Acquired (in Hect.)
1	2	3	4	5	6
Balarampur	Utraula	Sadullah Nagar	Adhinpur	49 MI	0.045
				61 MI	0.178
				62 MI	0.122
				Total :	0.345 Hect.

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of the acquisition to takes necessary steps enterupon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil in to the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section-12 of the Act.

6. Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection of land in the locality in writing to the collector.

7. Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or any transaction of the land *i. e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE:–A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Collector,
Balarampur.

11 जून, 2021 ई0

सं0 353/आठ-वि0भू0अ0अ0/अधिसूचना/गोण्डा/बलरामपुर/2020-21–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत बुधईपुर रजवाहा निर्माण हेतु जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला, परगना उतरौला, ग्राम सोनापार में कुल 0.084 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–सरयू नहर परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-1201/16/96-आई0ए0-1, दिनांक 19 जून, 2000 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्रस्तुत किया गया है तथा धारा 6(2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है।

3–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

4–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित भूमि का सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बलरामपुर	उतरौला	उतरौला	सोनापार	1020	0.084
					योग ..	**0.084**

5–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं।

6–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

NOTIFICATION

June 11, 2021

No. 353/VIII-S.L.A.O./Notification/Gonda/Balrampur/2020-21–Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilition and Rehabilitation Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), hereinafter referred to as the said Act, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate) is satisfied that a total of 0.084 hactare of land is requried for the construction of BUDHAIPUR RAJWAHA under the National Project of Saryu Nahar Pariyojna in

the Village SONAPAAR, Pargana UTRAULA, Tahsil UTRAULA, District BALARAMPUR for public purpose under the said project namely Saryu Canal Porject.

2. Letter no. 1-12011/16/96-IA-1, dated 19 June, 2000 has been provided by the Ministry of the Environmental & Forests Government of the regarding environmental clearance of Saryu Canal Project in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6 of the said Act.

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose :

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
1	Balarampur	Utraula	Utraula	Sonapaar	1020	0.084
					Total. .	**0.084 Hect.**

5. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of the acquisition to takes necessary steps enterupon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil in to the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection of land in the locality in writing to the collector.

7. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or any transaction of the land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector,
Balarampur.

पी0एस0यू0पी0–12 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 19 जून, 2021 ई० (ज्येष्ठ 29, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत कुरसठ, जनपद हरदोई

03 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 03/न0पं0कुरसठ/2021-22–संख्या 270/न0पं0 कुरसठ/उपविधि संकल्प/2020-21 नगर पंचायत कुरसठ, हरदोई द्वारा लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली, 2020, नगरपालिका अधिनियम की धारा 298 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत प्रस्तावित करते हुये एवं नगरपालिका अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 29, 2016) की धारा 128 से 149 (ए) के प्राविधानों के अनुसार जनमानस के आपत्ति व सुझाव हेतु आमंत्रित किये जाने हेतु सार्वजनिक रूप से प्रकाशन समाचार-पत्र "राष्ट्रीय सहारा" के दिनांक 02 अगस्त, 2020 एवं "आज" के दिनांक 02 अगस्त, 2020 के अंक में प्रकाशित कराया गया, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, अतः उक्त नियमावली को अन्तिम मानते हुये राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली, 2020

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगर पंचायत कुरसठ, लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत कुरसठ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत कुरसठ के बोर्ड से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत कुरसठ के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ प्रशासक से है।

(ङ) ''नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत कुरसठ, जनपद हरदोई से है।

(च) ''नगर पंचायत की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) ''लाइसेंसिंग अधिकारी' से तात्पर्य नगर पंचायत कुरसठ, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

4–कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने के पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5–लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी।

6–प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेंस प्राप्त कर लेवे।

7–लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि लाइसेंस प्राप्तकर्ता नगर पंचायत कुरसठ, जनपद हरदोई के कार्यालय में जमा कर सकता है अथवा अधिकृति कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बांटों व मापों का प्रयोग करेंगे।

8–केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियंत्रण हेतु लाइसेंस से भिन्न होगा।

9–ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसा किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जायेगा।

10–नगर पंचायत कुरसठ, प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी समय भी दुकान के लाइसेंस का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होगा।

11–अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी लाइसेंस निर्गत कर सकता है।

12–जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे संबंधित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

13–इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व प्रभावी लाइसेंस उपनियमावली की शुल्कों की दरें निरस्त हो जायेंगी।

14–वाहनों के लाइसेंस न होने पर अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर उसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा जानवर वाली गाड़ियों के जानवर भी बन्द किया जा सकता है।

15–शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार उपनियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

16–नगर पंचायत समिति यदि आवश्यक समझे तो नीलामी/निविदा के आधार पर लाइसेंस शुल्क की वसूली इन्हीं शर्तों के अधीन या जैसा समिति निर्धारित करे, करा सकती है।

वार्षिक दरें निम्नवत् होंगी

क्र0स0	मद	निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें
1	2	3
(अ)	**होटल रेस्टोरेन्ट**	रु0
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक	670.00
2	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 से 20 शैय्या तक	2,000.00
3	एक सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैय्यों से ऊपर तथा 30 शैय्या तक	4,000.00
4	31 शैय्या से 40 शैय्या तक	4,670.00
5	41 शैय्या से 50 शैय्या तक	5,335.00
6	50 शैय्या से ऊपर	6,000.00
7	3 सितारा होटल	6,000.00
8	5 सितारा होटल	8,000.00
9	रेस्टोरेन्ट 1,200.00	
(ब)	**नर्सिंग होम**	
1	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	900.00
2	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर) (35.00 प्रतिबेड)	1,200.00
3	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	900.00
4	प्रसूति गृह (20 बेड के ऊपर)	1,200.00
5	प्राइवेट अस्पताल	800.00
6	पैथालाजी सेन्टर	670.00
7	एक्सरे क्लीनिक	670.00
8	डेन्टल क्लीनिक	800.00
9	प्राइवेट क्लीनिक	800.00

1	2	3
		रु0
(स) परिवहन		
1	ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)	1,200.00
2	ट्रान्सपोर्ट (वाहन सहित एजेन्सी)	2,400.00
3	आटोरिक्शा 2 सीटर	240.00
4	आटोरिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	480.00
5	आटोरिक्शा 4 सीटर	330.00
6	मिनी बस	800.00
7	बस	1,000.00
8	तांगा/खड़खड़ा	40.00
9	रिक्शा किराये पर	100.00
10	रिक्शा (निजी चालित)	50.00
11	ठेला/ठेली	50.00
12	हाथ ठेला	25.00
13	बैलगाड़ी/भैसागाड़ी	25.00
14	ट्रैक्टर/ट्राली	100.00
15	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	600.00
16	मोटर गैरेज	1,200.00
17	स्कूटर गैरेज/रिपेयरिंग शाप	500.00
18	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स सर्विस)	3,000.00
19	स्कूटर एजेन्सी (2 पहिया 3 पहिया)	1,500.00
20	साइकिल की दुकान/साइकिल मरम्मत	500.00-300.00
(द) पेट्रोलियम		
1	दुकान मिट्टी का तेल 100 गैलन तक	35.00
2	दुकान मिट्टी का तेल 300 गैलन तक	70.00
3	दुकान मिट्टी का तेल 500 गैलन तक	135.00
4	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर/पम्पिंग सेट अन्य	2,000.00

1	2	3
		रु0
5	पेट्रोल पम्प डीजल थोक (आयल कम्पनी)	2,000.00
6	जनरेटर डीजल सेट (किराये पर)	500.00
7	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	500.00
(य) अन्य व्यवसाय		
1	आटा चक्की (स्पेलर/थालसर) धान मशीन व अन्य फैक्ट्री	350.00
2	धुलाई गृह (लान्ड्री)	200.00
3	ड्राइ क्लीनर्स	600.00
4	साबुन फैक्ट्री	500.00
5	आइसक्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिन्क, सोडा, ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	1,000.00
6	गुड़ गोदाम	500.00
7	कंकड़ तथा सुर्खी का भट्ठा	600.00
8	चूना	350.00
9	ईट का भट्ठा	5,000.00
10	पेठा बनाने का कारखाना	800.00
11	जूता बनाने का कारखाना/दुकान	600.00-300.00
12	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईट, बालू थोक मौरंग, मार्बल टाइल्स, हार्डवेयर	800.00
13	बिजली के समान के विक्रेता छोटे, बड़े	300.00-500.00
14	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर	300.00-500.00
15	चाय के थोक विक्रेता/फुटकर	300.00
16	नट फैक्ट्री	100.00
17	खाल तथा बाल उतारने वालों पर	670.00
18	कैटरिंग	250-750.00
19	बेकरी (पावर)	600.00
20	बेकरी (भट्टी)	400.00

1	2	3
		रु0
21	हेयर कटिंग सैलून	200-350.00
22	ब्यूटी पार्लर	300.00
23	कुकिंग गैस एजेन्सी	1,000.00
24	जनरल मर्चेन्ट थोक	300.00-500.00
25	ट्रेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी)	300.00
26	टेलरिंग हाउस(5 कर्मचारी के ऊपर)	500.00
27	कोयला थोक विक्रेता	1,500.00
28	कोयला फुटकर विक्रेता	350.00
29	बेड़ा नावें	200.00
30	मसाला/पान मसाला कारखाना/फैक्ट्री	1,500.00
31	पेन्ट दुकान	300.00
32	बड़ी नावें	135.00
33	छोटी नावें	70.00
34	ज्वेलर्स/सुनार (बड़े) 5 लाख से ऊपर टर्न ओवर	1,500.00
35	ज्वेलर्स/सुनार (छोटे) 5 लाख टर्न ओवर से नीचे	1,000.00
36	विज्ञापन एजेन्सी	1,000.00
37	डेयरी फार्म	500.00
38	भूसा (थोक विक्रेता)	300.00
39	भूसा (फुटकर विक्रेता)	200.00
40	आडियो लाइब्रेरी	200.00
41	वीडियो लाइब्रेरी	500.00
42	केबिल टी0वी0	800.00
43	आर्कीटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउन्ट	
	कास्ट एकाउन्ट	2,000.00
44	फाइनेन्स कम्पनी चिट फण्ड	2,000.00
45	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	2,000.00
46	फाउन्डिंग, इंजीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल	800.00

1	2	3
		रु0
47	पशु बध स्लाटर हाउस छोटा/बड़ा प्रति पशु	30.00
48	सींग गोदाम	350.00
49	हड्डी खाल गोदाम	500.00
50	अनाज, तिलहन, चीनी, खाण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	600.00
51	अनाज, तिलहन चीनी गुड़, खाण्डसारी (थोक विक्रेता)	1,000.00
52	बार/बियर	2,500.00
53	आइस फैक्ट्री	200.00
54	टेण्ट की दुकान (टेण्ट हाउस)	750-3,300.00
55	दाल, चावल, व बड़ी तेल की मिलें (फैक्ट्री)	750-3,300.00
(र) दुकान		
1	पान की दुकान	50.00
2	चाय की दुकान	50.00
3	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	200.00
4	किताबों की दुकान (थोक)	300.00
5	किताबों की दुकान (फुटकर)	200.00
6	न्यूज पेपर	100.00
7	लकड़ी की टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	300.00
8	लकड़ी की दुकान (फुटकर)	200.00
9	टिम्बर मर्चेन्ट	2,000.00
10	रेडियो मैकेनिक/टी0वी0मरम्मत	200.00
11	टी0वी0 शाप/इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	300.00
12	फर्टिलाइजर शाप	300.00
13	प्लास्टिक फैक्ट्री	1,000.00
14	प्लास्टिक ट्रेडर्स	200-800.00
15	मिठाई की दुकान छोटी/बड़ी	200-400.00
16	चाट/मसाला की दुकान	100-200.00

1	2	3
		रु0
17	ड्राईफ्रूट थोक विक्रेता	800.00
18	ड्राइफ्रूट फुटकर विक्रेता	200.00
19	गैस फिलिंग प्लान्ट	3,000.00
20	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	100.00
21	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2,000.00
22	मसाले थोक विक्रेता	500.00
23	मसाले फुटकर विक्रेता	200.00
24	देशी शराब प्रति दुकान	2,000.00
25	विदेशी शराब प्रति दुकान	2,500.00
26	भैंस मांस की दुकान	500.00
27	बकरा/बकरी आदि मांस की दुकान/मछली की दुकान	500.00
28	फर्नीचर की दुकान, शोरूम	1,500.00
29	फर्नीचर विक्रेता	800.00
30	क्राकरी विक्रेता फुटकर/थोक	200-600.00
31	चूड़ी विक्रेता	50-200.00
(ल) पशुपालन		
1	प्रति जुर्माना कांजी हाउस में बन्द (छोटे/बड़े पशु)	350.00
2	कांजी हाउस में बन्द खुराक प्रतिदिन	
	छोटे जानवर (बकरी आदि)	50.00
3	प्रति खुराक बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	100.00
4	प्रति पशु प्रतिदिन (साफ-सफाई व्यवस्था)	50.00

विलम्ब शुल्क

सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रु0 50.00 (पचास रुपया मात्र) विलम्ब शुल्क देय होगा।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत कुरसठ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

कल्पना देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत कुरसठ,
जनपद हरदोई।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

14 जून, 2021 ई0

सं0 2287/2021—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 जून, 2021 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रिक्त एक सदस्य पद हेतु सम्पन्न हुये निर्वाचन में श्री अनुराग पाण्डेय, एडवोकेट, कानपुर नगर को नियमानुसार निर्वाचित घोषित किया गया। नवनिर्वाचित सदस्य श्री अनुराग पाण्डेय का कार्यकाल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के शेष कार्यकाल तक प्रभावी रहेगा।

श्री अनुराग पाण्डेय, एडवोकेट, कानपुर नगर का पता एवं मोबाइल नं0 निम्नवत् है—

1—श्री अनुराग पाण्डेय, एडवोकेट,

सदस्य,

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,

निवासी : 8/2, एफ0एम0 कालोनी, सिविल लाइन्स, जिला-कानपुर नगर।

मोबाइल—8787255345, 9839672070

gmail : anuragpandey 1989@gmail.com

पंजीकरण संख्या यू0पी0 2326/15।

ह0 (अस्पष्ट),
(सदस्य-सचिव)
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "रोज गार्डेन ट्रेडर्स, सी-325, दीनदयाल नगर, मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री अवधेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद शर्मा, निवासी 24/414, प्रसादीलाल रोड, गली नं0-2, कंजरी सराय, जिला मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री मधुर प्रकाश गोयल व श्रीमती शालिनी तिवारी रह गये हैं।

मधुर प्रकाश गोयल,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "रोज गार्डेन ट्रेडर्स",
सी-325, दीनदयाल नगर,
मुरादाबाद (यू0पी0)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स गोविन्द ग्रीन फूड्स इन्फ्राटेक, ग्राम भटौली, पो0 रूरा, जनपद कानपुर देहात के साझेदार श्री घनश्याम जी ओमर पुत्र स्व0 गोविन्द प्रसाद, निवासी कस्बा व पो0 रूरा, जनपद कानपुर देहात, उ0प्र0 का देहान्त दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को हो गया है। उनके स्थान पर उनकी पत्नी बबिता गुप्ता पत्नी स्व0 घनश्याम जी ओमर व उनके पुत्र चितवन ओमर पुत्र स्व0 घनश्याम जी ओमर को आपसी सहमति से साझीदार बनाया गया है। अब दिनांक 21 अप्रैल, 2021 से हमारी फर्म मेसर्स गोविन्द ग्रीन फूड्स इन्फ्राटेक में सभी साझेदारों का विवरण इस प्रकार है—

1—श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 गोविन्द प्रसाद गुप्ता, निवासिनी ई/21 खपरा मोहाल, कानपुर-208004।

2—रामजी गुप्ता पुत्र स्व0 गोविन्द प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम भटौली, पो0 रूरा, कानपुर देहात-209303।

3—श्यामजी गुप्ता पुत्र स्व0 गोविन्द प्रसाद गुप्ता, निवासी टाउन व पोस्ट रूरा, जनपद कानपुर देहात-209303।

4—बबिता गुप्ता पत्नी स्व0 घनश्याम जी ओमर, नि0 ई/21 खपरा मोहाल, कानपुर कैन्ट-208004।

5—चितवन ओमर पुत्र स्व0 घनश्याम जी ओमर, नि0 ई/21, खपरा मोहाल कैन्ट-208004।

रामजी गुप्ता,
साझेदार,
वास्ते मेसर्स गोविन्द ग्रीन फूड्स इन्फ्राटेक,
ग्राम भटौली, पो0 रूरा,
कानपुर देहात, उ0प्र0-209303।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "एम0टी0डी0 फार्मिंग्स" नियर कौशल्य इण्टर कालिज, डिप्टी गंज, मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्री तारा दत्त जोशी पुत्र श्री गौरी शंकर जोशी, निवासी निकट विल्सोनिया स्कूल, सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को श्रीमती शालिनी तिवारी पुत्री स्व0 सत्यपाल सरन ओझा, निवासी ए-128, सांई गार्डन, निकट वेब मॉल, रामगंगा विहार, जिला मुरादाबाद व मधुर प्रकाश गोयल पुत्र श्री अरविन्द कुमार, निवासी 25, सिविल लाइन्स, मधुर विहार कालोनी, जिला मुरादाबाद शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर संजय कुमार गुप्ता, रूमा गोयल, श्रीमती शालिनी तिवारी व श्री मधुर प्रकाश गोयल हो गये हैं।

संजय कुमार गुप्ता,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "एम0टी0डी0 फार्मिंग्स",
नियर कौशल्य इण्टर कालिज, डिप्टी गंज,
मुरादाबाद (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "एस0एम0 रियल ट्रेडर्स", 25, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को श्री नीरज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 इन्द्र देव गुप्ता, निवासी 79, काजल वाशान गंज, मुरादाबाद शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्रीमती सुमित्रा गुप्ता, श्री मधुर प्रकाश गोयल व श्री नीरज कुमार गुप्ता हो गये हैं।

मधुर प्रकाश गोयल,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "एस0एम0 रियल ट्रेडर्स"
25, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम दिव्यांक श्री जय था अब मैंने अपना नाम बदलकर दिव्यांक सिंह कर लिया है। भविष्य में मुझे दिव्यांक सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सूचनायें मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं।

दिव्यांक सिंह,
पुत्र श्री अनूप कुमार सिंह,
नि0 डी/15 बी नेचर विला त्रिवेणीपुरम,
झूंसी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "एस0एल0 ग्रुप एण्ड एसोसिएट्स", प्लॉट नं0-1, सेक्टर-13, नया मुरादाबाद, मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 11 मई, 2021 को श्री सुशील कुमार पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी नजर खेल, निकट पुलिस चौकी, सराय तरीन, जिला सम्भल का देहान्त हो गया है तथा दिनांक 12 मई, 2021 को पियूष कुमार पुत्र स्व0 सुशील ठाकुर, निवासी 54, केली, दतावली, सम्भल, जिला सम्भल शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में सात पार्टनर श्री सुनील कुमार, श्रीमती लतेश रानी गुप्ता उर्फ लतेश गुप्ता, श्री पल्लव कुमार, श्रीमती मीरा सिंह उर्फ कमलेश, श्री चन्द्रभान सिंह, श्री पियूष व श्री शशांक अग्रवाल रह गये हैं।

सुनील कुमार,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "एस0एल0 ग्रुप एण्ड एसोसिएट्स,
प्लॉट नं0-1, सेक्टर-13, नया मुरादाबाद,
मुरादाबाद (यू0पी0)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 अनिल्स कार फिल वर्तमान पता 17/10 दि माल कानपुर में सर्वश्री अनिल शरण गर्ग एच0यू0एफ0 हैसियत से, सर्वश्री सुधीर शरण गर्ग एच0यू0एफ0 हैसियत से तथा श्रीमती रेखा गर्ग पार्टनरशिप डीड, दिनांक 05 फरवरी, 2007 के अनुसार पार्टनर थे तथा उपरोक्त फर्म में सर्वश्री अनिल शरण गर्ग, एच0यू0एफ0 तथा सुधीर शरण गर्ग, एच0यू0एफ0 दोनों निवासीगण 7/18 पार्वती बागला रोड, कानपुर फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 15 मार्च, 2021 से पृथक् हो गये हैं तथा वर्तमान में सर्वश्री सुनील शरण गर्ग, भरत शरण गर्ग एवं श्रीमती रेखा गर्ग सभी निवासीगण 7/18 पार्वती बागला रोड, कानपुर दिनांक 15 मार्च, 2021 से पार्टनरशिप डीड, दिनांक 15 मार्च, 2021 के अनुसार पार्टनर हो गये हैं।

पार्टनर,
रेखा गर्ग।

पी0एस0यू0पी0—12 हिन्दी गजट—भाग 8—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।